UPSD040124382026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
Criminal Misc. Cases/669/2026
नीला **बनाम** सन्तराम आदि

थाना–मोहाना,
जनपद–सिद्धार्थनगर

दिनांक–27.05.2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3)BNSS

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किये जाने के बावत आवेदिका नीला पत्नी बृजमोहन के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3)BNSS पर सुना ।

संक्षेप में आवेदिका का कथन है कि दिनांक 03.05.2026 को शाम करीब 6:30 बजे जमीन के बटवारे की बात को लेकर रंजिशन सन्तराम पुत्र चिथरु, बृजलाल पुत्र संतराम, बंदना पत्नी बृजलाल, बृजभान पुत्र संतराम, संगीता पत्नी बृजभान, आकाश पुत्र बृजलाल, विकास पुत्र बृजभान एक राय गोलबन्द हो कर अनिल चौधरी के घर के सामने प्रार्थिनी को लात, मूका, लाठी, डण्डा से मारने पीटने लगे, बचाने आये पति बृजमोहान एवं पुत्र अर्चना को भी सभी लोगों ने गिरा कर बुरी तरह मारा–पीटा, भद्दी–भद्दी गाली दिया एवं जान से मार डालने की धमकी दिया। हम तीनों को सर से पैर तक काफी गम्भीर चोटे लगी पति का सर फट गया जिससे वह लहू लुहान होकर जमीन पर गिर गये तथा दायें हाथ की छोटी अंगुली टूट गयी। रोने चिल्लाने की आवाज सुन कर मौके पर गांव जवार के अन्य बहुत से लोग इकट्ठा हो गये बीच बचाव किया तब जा कर प्रार्थिनी व परिवार प्रार्थिनी की जान बची। विपक्षीगण धमकी देते हुए वहां से भागे। मामले की सूचना तत्काल पुलिस चौकी लालपुर, एवं मुकामी थाने पर दिया घटना की तिथि से पुलिस दौड़ाती रही किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तत्पश्चात जिला अस्पताल आकर अपने चोटों का डाक्टरी मुआयना एवं दवा इलाज कराया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई मजबूरन प्रार्थिनी श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल कर रही है। न्यायहित में विपक्षीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना करने हेतु थानाध्यक्ष मोहाना को आदेशित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

आवेदिका का प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है तथा आवेदिका द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को प्रेषित प्रार्थना–पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद, चुटहिलों की तीन अदद चिकित्सीय परीक्षण आख्या व एक्स–रे प्लेट, आई.जी.आर.एस. रिपोर्ट की छाया प्रति मेडिकोलीगल रिपोर्ट बृजमोहन एवं छाया प्रति आधार कार्ड पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

सम्बन्धित थाने की आख्या आहूत की गयी, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी व गवाहान को घटना की बखूबी जानकारी है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नम्बर–9297/07 सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2008(1)A.C.R. पेज 170, में प्रतिपादित विधि व्यवस्था एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राम बाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम उ०प्र० सरकार 2001(2) A.C.R. 1350(F.B.)**, में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आधार प्रश्नगत प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) भा०ना०सु०सं० परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 BNSS दिनांक 26.06.2026 को पेश हो।

दिनांक–27.05.2026

(धम्म कुमार सिद्धार्थ)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 3504

Digitally signed by DHAMMA KUMAR SIDHARTH
Date: 2026.05.27 01:52:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court